न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 134 / 2020 **दायर दिनांकः 02 / 09 / 2020**

उनवान

1. कपिलदेव आयु 33 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति मीना
2. पवन कुमार आयु 26 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति मीना
3. सुमित आयु 24 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति मीना
4. रविकान्त आयु 22 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति मीना निवासीगण ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. देवकिशन पुत्र धन्नालाल आयु 55 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी पो0 ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

बाबत् खातेदारी घोषणा

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

आदेश दिनाक : 19 / 11 / 2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल ढ़ोटी पटवार हल्का ढ़ोटी तह0 अटरू की खाता संख्या 188 की ख0न0 1034 का रकबा 2.61 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.61 है0 आराजी व खाता संख्या 187 की ख0न0 1324 का रकबा 1.50 है0, ख0न0 1410 का रकबा 1.31 है0, ख0न0 1434 का रकबा 0.47 है0, ख0न0 387 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 855 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 5 का रकबा 3.37 है0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 15:08:27 IST
Reason: SelfAttested

आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी नवीन साथ में संलग्न हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम ढोटी की खाता संख्या 188 की ख0न0 1034 का रकबा 2.61 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.61 है0 व खाता संख्या 187 की ख0न0 1324 का रकबा 1.50 है0, ख0न0 1410 का रकबा 1.31 है0, ख0न0 1434 का रकबा 0.47 है0, ख0न0 387 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 855 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 5 का रकबा 3.37 है0 आराजी पैतृक सम्पत्ति हैं जो प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाता हैं जिसमें नोशनल शेयर से जन्म से ही वादीगण का हिस्सा 1/5–1/5 बनता हैं। इसलिए वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें जिसके वादीगण अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। बिना सहायता न्यायालय वादीगण का नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादीगण का नाम उक्त वर्णित आराजी में दर्ज नहीं किया गया तो वादीगण को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा यदि प्रतिवादी क्रम 1 ने आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण कर दिया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होंगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इसलिए वादीगण को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद खातेदारी की घोषणा का होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं यदि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी का बेचान कर दिया तो वादीगण के वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेंगा इसलिए मामले को आवश्यक प्रकृति का मानते हुए नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 05/07/2020 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी बेचान करने की धमकी देने तथा अंतिम बार दिनांक 16/08/2020 को वादीगण का नाम खाते में दर्ज करवाने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 16:08:27 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम ढोटी तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि:–

(अ) यह कि वादीगण को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी ग्राम ढ़ोटी की खाता संख्या 188 का कुल किता 1 का रकबा 2.61 है0 आराजी व खाता संख्या 187 का कुल किता 5 का रकबा 3.37 है0 आराजी में 1/5 – 1/5 – 1/5 – 1/5 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा इस आशय का पेश हुआ है कि वाके ग्राम एवं माल ढोटी में खाता संख्या 187 किता 5 रकबा 3.37 है0 एवं 188 का कुल किता 1 का रकबा 2.61 है0 आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीगण 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 रहेगा। इस आशय का राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी के आपसी समझाईस से हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हुये राजीनामा को तस्दीक कर पर्चा डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री महावीर प्रसाद नागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 15:08:27 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम ढोटी में खाता संख्या 187 किता 5 ररकबा 3.37 है0 एवं खाता संख्या 188 किता 1 रकबा 2.61 है0 प्रतिवादी कम 1 देवकिशन पुत्र धन्नालाल के खाते दर्ज है। अभिभाषक वादीगण द्वारा जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग का 1 जुलाई 1989, 30 जून 2001 व जमाबन्दी 2033 से 2036 की नकल पेश की है। जिनके अवलोकन से विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है तथा प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत ढोटी द्वारा वारिसयान प्रमाण पत्र 20.08.2020 अनुसार वादीगण 1 ल 4 प्रतिवादी कम 1 के पुत्र है। जिनका पैत्रिक सम्पत्ति पर जन्म से अधिकार निहित है।

अतः न्यायहित मे आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल ढोटी में खाता संख्या 188 का कुल किता 1 का रकबा 2.61 है0 व खाता संख्या 187 किता 5 रकबा 3.37 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है।

अतः आपसी सहमति से उक्त भूमि पर वादी कम 1 ल 4 व प्रतिवादी कम 1 को हिस्सा 1/5, 1/5 का खातेदार का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 15:08:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 134/2020

उनवान

1. कपिलदेव आयु 33 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति मीना
2. पवन कुमार आयु 26 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति मीना
3. सुमित आयु 24 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति मीना
4. रविकान्त आयु 22 वर्ष पुत्र देवकिशन जाति मीना निवासीगण ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. देवकिशन पुत्र धन्नालाल आयु 55 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी ढ़ोटी पो0 ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>
<u>बाबत् खातेदारी घोषणा</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल ढोटी में खाता संख्या 188 का कुल किता 1 का रकबा 2.61 है0 व खाता संख्या 187 किता 5 रकबा 3.37 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है।

अतः आपसी सहमति से उक्त भूमि पर वादी कम 1 ल 4 व प्रतिवादी कम 1 को हिस्सा 1/5, 1/5 का खातेदार का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.11.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 15:08:27 IST
Reason: SelfAttested